14.03.2022 वकुलाये फरीकेन उपस्थित। बहस अधिवक्ता पूर्व में सुनी जा चुकी है। आज निर्णय सुनाया जाना है। अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का आद्योपान्त परीक्षण किया गया। प्रा० पत्र 09 R 13 CPC के जरिये प्रार्थीगण 1/1 से 1/4 का मुख्य अनुतोष यह है कि उक्त प्रकरण के वाद संख्या 07/2013 उनवानी घीसाराम मीणा बनाम मदन आदि में प्रार्थीगण 1/1 से 1/4 जो मृतक मूल वाद के प्रतिवादी संख्या-1 मदन के वारिसान है कि उक्त मूल वाद में मदन की मृत्यु के पश्चात न्यायम

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.19 12:15:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी (झुन्झुनूं)

बी/ [signature]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	मुकाम बनाये बिना व उनको सुने बिना पारित किये गये निर्णय व डिक्री दिनांक 10.10.14 व 09-01-2015 को निरस्त किया जावे और वाद को पुन: नम्बर पर लेकर प्रार्थीगण 1/1 से 1/4 को प्रकरण में कायम मुकाम बनाया जाकर उनको सुनकर निर्णय पारित करने की कृपा करें। प्रा0 9 R13 CPC के जवाब में अप्रार्थी सं. 1 धीसाराम मीणा ने प्रा0पत्र द्वारा 151 CPC इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थीगण के पिता स्व0 मदन की मूलवाद में विधिवत तामिल हुई है तथा स्व0 मदन की तरफ से उनका अधिवक्ता श्री अजीत सिंह तंवर निर्णय व डिक्री के समय उपस्थित था। मूल वाद के प्रतिवादी सं. 1 स्व0 मदन की ओर से उपस्थित उनके अधिवक्ता की उपस्थिति में ही माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दि. 10.10.14 व 9.01.15 पारित किया है।	

उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी (झुन्झुनू)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.19 12:15:23 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया है कि मृत व्यक्ति के विधिक वारिसान को कायम मुकाम बनाये बिना ही पारित की गई उक्त डिक्री व निर्णय प्रारम्भ से ही शून्य है। इसलिये प्रार्थीगण का हस्तगत प्रा०पत्र 09R13 स्वीकार किया जाकर निर्णय व डिक्री दिनांक 10.10.14 व 09-01-2015 को निरस्त किया जावे और वाद को पुनःनम्बर पर लेकर प्रार्थीगण 1/1 से 1/4 को प्रकरण में कायम मुकाम बनाया जाकर उनको सुनकर निर्णय पारित करें। अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 बीलाराम ने अपनी बहस में कथन किया है कि स्व. मदन की विधिवत तामील हुई है। वरवक्त निर्णय व डिक्री के स्व. मदन का अधिवक्ता उपस्थित था। अधिवक्ता की उपस्थिति में ही प्राथमिक व अंतिम डिक्री जारी हुई है। प्रकरण में स्व० मदन की विधिवत तामील के जरिये अधिवक्ता ... निर्णय व डिक्री जारी हुई है। प्रा०पत्र 9R13 एक्स पार्टी डिक्री होने पर पेश किया जाता है जबकि प्रकरण में विधिवत तामील हुई है। इसलिये प्रार्थीगण	

उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी (झुन्झुनूं)

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.19 12:15:23 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	द्वारा पेश प्रा0पत्र 09 R13 CPC विधि विरूद्ध होने के कारण खारिज काबिल है। जो माननीय न्यायालय के समक्ष सुनवाई नहीं की जा सकती। अगर मृत व्यक्ति के खिलाफ डिक्री जारी हुई है तो उक्त आदेश व डिक्री की अपील की जा सकती है। अतः प्रार्थीगण का प्रा0पत्र 09 R13 CPC खारिज किया जावे। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपने तर्कों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त citation: 2011 (2) DNJ (Raj) 910 Rajasthan High Court LR's of Hazza Ram & ors. v/s Kheraj Ram & ors. Dated 29-6-2011 पेश किया। प्रा0पत्र 09 R13 CPC प्रार्थीगण व प्रा0पत्र अ0 धारा 151 CPC अप्रार्थी सं. 1 धीसाराम व जवाब प्रा0पत्र धारा 151 CPC का आद्योपान्त अवलोकन किया गया और दोनों पक्षों की बहस पर मनन किया गया। हमने आदेश [illegible] ध्यानपूर्वक अवलोकन [illegible] जिसमें प्रावधान है [illegible] कि किसी ऐसे मामले में जिसमें डिक्री किसी प्रतिवादी के विरूद्ध एक पक्षीय पारित की गई है, वह प्रतिवादी उसे अपास्त करने के	कार्यालय उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.19 12:15:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी (झुन्झुनू)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ता॰ अहकाम जो हुक्म की ता॰ जारी हुए
	आदेश के लिए आवेदन उस न्यायालय में कर सकेगा जिसके द्वारा वह डिक्री पारित की गई है। यहां पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि स्व॰ मदन के विरूद्ध एकपक्षीय डिक्री पारित नहीं हुई है। प्रतिवादी पर ओरिल की तामिल विधिवत हुई है तथा प्रकरण में अन्त तक प्रतिवादी स्व॰ मदन की ओर से अधिवक्ता श्री अजीत तंवर द्वारा के द्वारा पैरवी की गई है। इसलिये यहां यह कहना गलत होगा कि स्व॰ मदन के विरूद्ध एक पक्षीय डिक्री पारित हुई है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 9 नियम 13 में यह स्पष्ट प्रावधित है कि किसी प्रतिवादी के विरूद्ध एक पक्षीय डिक्री पारित हुई है तो वह प्रतिवादी उसे अपास्त करने के आदेश के लिए आवेदन उस न्यायालय में कर सकेगा जिसके द्वारा वह डिक्री पारित की गई थी। हस्तगत प्रकरण में डिक्री एक पक्षीय ... कर केवल मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित हुई। इसलिए प्रार्थीगण का उक्त / हस्तगत प्रा॰ पत्र O9R13 CPC पोषणीय नहीं होने से	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.19 12:15:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी (झुन्झुनू)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	खारिजे काबिल योग्य है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रा० पत्र O 9 R 13 CPC पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। निर्णय आज खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (जय सिंह) RAS उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज० कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी * जिला-झुंझुनूं * उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी (झुंझुनूं) Signature Not Verified Digitally signed by Jai Singh Date: 2022.10.19 12:[illegible] IST Reason: SelfAttested	